क्रमांक 23 की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें वर्ष 2023–24 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका पद्धति से कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023–24 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका हेतु न्यूनतम राशि रूपये 26,62,000/– निर्धारित की गई थी। ठेका हेतु दिनांक 03.03.2023 द्वारा निविदा जारी की गई तथा दिनांक 20.03.2023 तक ऑफर प्रस्तुत करने हेतु तारीख निर्धारित की गई। निर्धारित अवधि तक कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर समयावधि बढ़ाकर 21.03.2023 एवं 24.03.2023 तक निविदा प्रस्तुत करने की समयावधि निर्धारित की गई। नियत दिनांक तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 17.03.2023 तक कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 21.03.2023 को द्वितीय निविदा सूचना जारी की गई, जिसका प्रकाशन दिव्य एक्सप्रेस एवं नव भारत समाचार–पत्र में कराया गया तथा ऑफर प्रस्तुत करने दिनांक 28.03.2023 अपरान्ह 3:00 बजे तक का समय नियत किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रतिवाद उत्तर में प्रस्तुत दिनांको में विरोधाभास है। अपने प्रतिवाद उत्तर एवं अभ्यावेदन के साथ उनके द्वारा समाचार–पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना एवं निविदा आमंत्रण सूचना की कोई प्रति संलग्न नहीं की गई है। जांच प्रतिवेदन अनुसार निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार–पत्र संवाद कुंज के दिनांक 14.03.2023 के अंक में कराया गया, जिसमें निविदा फॉर्म प्राप्ति की तिथि 17.03.2023 निर्धारित की गई है, अर्थात समय मात्र तीन दिवस का रखा गया। यह विज्ञप्ति वाहन पार्किंग शुल्क ठेका नीलामी सूचना के साथ प्रकाशित कराई गई है

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नगर पालिका के लिये किसी कार्य या वस्तु, सामग्री एवं सेवा, जिसका मूल्य 1 लाख रूपये से अधिक हो, के लिये निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार 1 लाख रूपये मूल्य से अधिक की प्रत्येक निविदा के लिये ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है तथा निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित कम–से–कम एक हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में किया जाना आवश्यक है। निविदा के प्रकाशन में नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

जांच प्रतिवेदन अनुसार द्वितीय निविदा आमंत्रण में दो ऑफर प्राप्त हुये, जिसमें उच्चतम ऑफर राशि रूपये 15,11,888/– श्री पवन कुमार पिता श्री रमेश कुमार की थी, जिसे प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 40 दिनांक 12.04.2023 द्वारा निरस्त किया गया। निर्णय में प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल द्वारा उल्लेख किया गया है कि निकाय द्वारा ठेका हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि रूपये 26,62,000/– है तथा प्राप्त उच्चतम ऑफर रूपये 15,11,888/– निर्धारित राशि से कम होने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है।

प्रकरण में दिनांक 18.04.2023 के माध्यम से पुनः तृतीय निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई, जिसमें दिनांक 25.04.2023 को दोपहर 2:00 बजे तक ऑफर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। नियत किये गये समय पर 4 ऑफर प्राप्त हुये, जिसमें से उच्चतम ऑफर श्री शोएब खान का रूपये 15,31,000/– का प्राप्त हुआ, जिसे प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल की बैठक दिनांक 28.04.2023 के प्रस्ताव क्रमांक 01 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

उल्लेखनीय है श्री शोएब खान द्वारा प्रस्तुत उच्चतम ऑफर भी निकाय द्वारा निर्धारित राशि रूपये 26,62,000/– से बहुत कम था, जिसे प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

सम्पूर्ण प्रकरण के परीक्षण तथा अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सिवनी तथा निकाय के अधिकारी/कर्मचारी एवं प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल के सदस्यगण द्वारा संगठनमत होकर व्यक्ति विशेष को अवांछित लाभ पहुंचाने के उददेश्य से अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका में निविदा आमंत्रण प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया तथा निर्धारित राशि से

क्रम राशि पर अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका व्यक्ति विशेष को आवंटित कर निकाय को लगभग राशि रूपये 11,31,000/– की आर्थिक हानि पहुंचाई गई।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका पद्धति से कराये जाने की स्वीकृति परिषद द्वारा प्रदान की गई थी तथा यह निर्णय नीतिगत था इसलिये दरों पर विचार हेतु अवरण परिषद के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, श्री शफीक खान द्वारा इस संबंध में अपने अभ्यावेदन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 239 में प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल को 20 लाख रूपये तक की वित्तीय स्वीकृति की शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिये परिषद से स्वीकृति प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, उनका यह तर्क मान्य योग्य नहीं है। ठेके के लिये न्यूनतम राशि परिषद की सहमति से निर्धारित की गई थी तथा निर्धारित न्यूनतम राशि से क्रम राशि के ऑफर की स्वीकृति प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल द्वारा दी गई है, जो नियमानुसार उचित नहीं है।

वर्ष 2024–25 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका की नीलामी में उच्चतम ऑफर राशि रूपये 24,06,888/– प्राप्त हुई है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वर्ष 2023–24 के अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका के लिये जानबूझकर निर्धारित राशि से कम राशि का ऑफर स्वीकृत किया गया है।

श्री शफीक खान के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अभिलेखों से प्रमाणित पाया जाता है।

आरोप क्रमांक–14

यह कि आपकी उक्त पदावधि के दौरान वर्ष 2024–25 के लिए भी अस्थायी दखल ठेका वसूली की नीलामी की कार्यवाही की गई। उक्त नीलामी में भी मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः दोषपूर्ण थी। जांच प्रतिवेदन अनुसार ठेकेदार से अनुबंध संपादित करना तथा निविदा शर्तों के अनुसार राशि जमा करना भी नहीं पाया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेके की निर्धारित राशि निकाय में जमा करना भी नहीं पाया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेके की निर्धारित राशि निकाय में जमा नहीं होने से निकाय को आर्थिक हानि होने की सम्पूर्ण संभावना है तथा अनुबंध नहीं करने से शासन को स्टाम्प शुल्क की हानि की भी संभावना है। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते है।

प्रतिवाद उत्तर–14

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि वर्ष 2024–25 के लिये अस्थायी दखल ठेका वसूली की नीलामी के लिये नियमानुसार निविदा आहूत कर उच्चतम निविदाकार को पी.आई.सी. 09.02.2024 की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 की स्वीकृति उपरांत ही ठेका दिया गया है तथा ठेकेदार के द्वारा 50 प्रतिशत की राशि निकाय कोष में जमा की जा चुकी है तथा यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध का निष्पादन करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का न होकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है क्योकि अध्यक्ष स्वयं कोई अनुबंध–पत्र निष्पादित करने के लिये नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत अधिकृत नही है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी दखल का अनुबंध निष्पादित करने मे स्टाम्प शुल्क से छूट दी गयी है तथा धारा 110 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी भी संविदा को निष्पादित

करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास ही है तथा अध्यक्ष को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गयी है तथा वर्ष 2023–24 एवं 24–25 के संबंध में बस स्टेंड पार्किंग वसूली एवं बैठको बाजार के ठेके में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी तथा इसके लिये मैं किसी भी प्रकार से दोषी भी नही ठहराया जा सकता हूँ।

यह कि मुझे जो आरोप पत्र दिया गया वह विधिक नही है क्योकि आरोप पत्र में जिन बिन्दुओं और आरोपों का स्पष्टीकरण चाहा गया है उस संबंध में मुझे धारा 41–क के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी दस्तावेज संलग्न कर नही दिये गये तथा मेरे द्वारा जब इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी को दिनांक 07.10.2024 को दस्तावेज प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया तब उनके द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रदान नही किये गये और आधे अधूरे दस्तावेज के साथ साथ यह स्पष्ट किया कि जाँच दल के द्वारा जो जाँच की गयी है उसका कोई प्रतिवेदन उनके पास उपलब्ध नहीं है तथा जाँच दल का प्रतिवेदन और निष्कर्ष भी मुझे आज दिनांक तक उपलब्ध ना कराये जाने के कारण मै समुचित रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ हूँ इस प्रकार धारा 41–क मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत दिया गया नोटिस विधिक नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है, इस प्रकार मुझे इस प्रकरण में अपना समुचित स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान न किये जाने कारण मेरे विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा।

यह कि मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार संपूर्ण जाँच दल कभी भी नगर पालिका परिषद सिवनी नही आया तथा जाँच दल के केवल दो अधिकारी श्री डी आदित्य कुमार तथा श्री सुरेश कुमार डेहरिया, सिवनी आये तथा एक दिन रूकने के बाद बिना कोई दस्तावेज की छानबीन किये चले गये यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व मे जब मै पार्षद पद पर पदासीन था तब श्री डी आदित्य कुमार नगरपालिका परिषद सिवनी में सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे तथा उनके क्रियाकलापों को लेकर मेरे से उनका व्यक्तिगत विवाद था और मेरे द्वारा इस संबंध में अनेकों शिकायते भी की गयी तथा इस संबंध में न्यायालयीन प्रकरण भी चला इस कारण वे मुझसे व्यक्तिगत वैमनस्यता भी रखते हुये चले आये है तथा ऐसे व्यक्ति को जाँच दल का प्रमुख बनवाया गया ताकि मेरे विरूद्ध झूठी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके, इतना ही नही जाँच दल के द्वारा शिकायतकर्ता या अन्य किसी भी व्यक्ति जिसे कोई आपत्ती हो तो उपस्थिति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया किन्तु कोई भी शिकायतकर्ता या व्यक्ति उपस्थित नही हुआ इस प्रकार कथित शिकायतकर्ता वास्तव में अस्तित्व में है या नही यह प्रमाणित नहीं हो पाया है, इस संबंध में मैं <u>एस.सी.सी. 2010 (2) पेज नंबर 319 शारदा कैलाश मित्तल विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.,एल.जे 2003 (4) पेज नंबर 28 राजीव शर्मा विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी., एम.पी.एल.जे. 2009(4) पेज नंबर 185 बालेश्वर दयाल जयसवाल विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं डब्ल्यू पी 13340/2017 अजय कुमार शुक्ला विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य</u> अपने जवाब से के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष पद से मिथ्या एवं बनावटी आधारो पर पद से पृथक नहीं किया जा सकता है, तथा मेरा प्रकरण भी इन्ही आधारों पर है।

यह कि मैं अल्प संख्यक समुदाय का होकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर पदासीन हूँ तथा मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ इस कारण भी मुझे झूठे आरोप लगाकर पद से पृथक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा अपने किसी को व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर पदस्थापित कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास झूठा जाँच दल गठित कर बिना कोई जाँच किये मुझे पद से पृथक करने के लिये प्रयत्नशील है, ऐसी

स्थिति मे मेरे विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को इसी स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा।"

विवेचना – 14

अधिरोपित आरोप में श्री शफीक खान को वर्ष 2024–25 के लिये अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका की नीलामी की कार्यवाही में नियमों में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने तथा ठेकेदार से अनुबंध सम्पादित नहीं करने के संबंध में आक्षेपित किया गया है।

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया, उनके द्वारा प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि उक्त अनुबंध सम्पादित करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का है। अध्यक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में यदि कोई अनियमितता की गई है, तो इसके लिये निकाय के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

आरोप के संबंध श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर मान्य योग्य प्रतीत होता है। नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना, ठेकेदार से नियमानुसार अनुबंध संपादित करना तथा ठेके में निर्धारित शर्तों का पालन करने का सम्पूर्ण दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ही होता है।

यह आरोप श्री शफीक खान के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने, समुचित स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान नहीं करने का उल्लेख किया गया है, जो मान्य योग्य नहीं है। विभाग में उपलब्ध अभिलेख अनुसार श्री खान को पत्र दिनांक 15.10.2024 द्वारा डॉक से प्रेषित किये गये हैं तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उनके द्वारा मांगे जाने पर समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वे स्वयं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर आसीन है, ऐसी स्थिति में उनका यह तर्क सही नहीं है कि उन्हें अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। जहां तक पर्याप्त अवसर प्रदान करने का प्रश्न है, श्री शफीक खान को दिनांक 01.10.2024 को कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया गया था, उनके द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.12.2024 को उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उनकी व्यक्तिगत सुनवाई नियत की गई, उनके द्वारा दिनांक 03.12.2024 को पत्र प्रेषित कर दिनांक 12.12.2024 को सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थतता व्यक्त करते हुये आगामी तिथि नियत करने का अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुये दिनांक 02.01.2025 को उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि नियत की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है।

सम्पूर्ण प्रकरण के परीक्षण से ज्ञात होता है कि नगर पालिका परिषद, सिवनी में विभिन्न सामग्रियों का मनमाने ढंग से नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुये आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय किया गया है। सामग्री क्रय में निर्धारित मानकों एवं प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा अपेक्षाकृत अधिक दर पर अमानक स्तर की सामग्रियां क्रय की गई है। स्वच्छता सामग्री के क्रय एवं खपत के संबंध में उपलब्ध विवरण से पूरी क्रय की कार्यवाही ही संदिग्ध पाई गई है। नगर पालिका परिषद द्वारा अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका एवं वाहन पार्किंग वसूली ठेका में भी गंभीर अनियमितताएं की गई हैं, जिससे निकाय को आर्थिक हानि हुई है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। उक्त धारा की उपधारा (1) के (क), (ख) एवं (ग) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:–

"(1. परिषद के अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(क) जब तक किसी युक्तियुक्त कारण द्वारा निवारित न हो जाए, परिषद् के समस्त सम्मिलनों में अध्यक्षता करे और तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे सम्मिलनों में कामकाज के संचालन का विनियमन करें,

(ख) परिषद के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखे और ऐसे कार्यपालन कृत्यों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे आवंटित किए जाए, पालन करें,

(ग) कार्यपालक प्रशासन के मामलों में और परिषद् के लेखाओं तथा अभिलेखों से संबंधित मामलों में परिषद के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों के कार्यों तथा कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करे तथा उन पर नियंत्रण रखें,"

श्री शफीक खान द्वारा अधिनियम में वर्णित उक्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नहीं किया गया है, जिससे नगर पालिका परिषद में उपरोक्तानुसार गंभीर अनियमितताएं कारित हुई हैं। उक्त गंभीर अनियमितता के लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ श्री शफीक खान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी पाये गये है।

शासन की राय में श्री शफीक खान का नगर पालिका परिषद, सिवनी के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित एवं परिषद हित में वांछनीय नहीं है। वे अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य किया जा रहा है।

अतः उक्त के दृष्टिगत राज्य शासन एतद् द्वारा श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक करता है। निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिये श्री शफीक खान निकाय में उत्तरदायी अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शिवराज सिंह वर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 9 /04/2025

पृ.क्रमांक F-6/1/4/0003/2025/18-3,

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, म.प्र.।
3. कलेक्टर, जिला सिवनी।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर, संभाग जबलपुर।
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी।
6. श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी।
7. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग